राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6512/2022

बिमला यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर डिवीजन (राज.)।
3. प्रधानाचार्य राम रतन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडाला ब्लॉक बहरोड़, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.12.2022
आदेश की दिनांक : 05.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड द्वितीय (संस्कृत) के पद पर राम रतन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडाला, ब्लॉक बहरोड़, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नौगांव, रामगढ़, अलवर किया गया है। उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 17.02.2022 को कार्यग्रहण किया था और मात्र 10 माह की अल्पावधि में ही पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दबाव में आकर किया गया है। जबकि उसके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई आवेदन नहीं किया फिर भी उसका स्थानान्तरण कर दिया

गया जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया। उनका कथन है कि बहरोड़ ब्लॉक में दो पद आज भी रिक्त हैं। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो किसी एक रिक्त पद पर अपीलार्थी को पदस्थापित कर सकता है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त नीति की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया, जो नीति विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड द्वितीय (संस्कृत) के पद पर राम रतन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडाला, ब्लॉक बहरोड़, अलवर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer*

orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दबाव में आकर किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रकट हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दबाव में किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)